



उससे हाथ मिलाने, उसे छूने, उससे गले मिलने में भी संक्रमण की कोई आशंका नहीं है।

एक ही बर्टन में खाने, एक ही बाथरूम या बिस्तर इस्तेमाल करने, स्वीमिंग पूल में जाने से भी एच.आई.वी./एडस नहीं फैलता।



खाँसने-छीकने और मच्छर के काटने से भी एडस फैलने का खतरा नहीं है।

एच.आई.वी./एडस की जानकारी पा लेने का मौका सभी को नहीं मिल पाता। जानकारी पाने के बाद आप अब दूसरों को भी एच.आई.वी./एडस के बारे में बताएं। अपने परिवारजनों और मित्र-दोस्तों के साथ भी चर्चा करें और उन्हें सही जानकारी दें ताकि वे भी जरूरी एहतियात बरत सकें।

क्या एडस का कोई इलाज है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक एडस का कोई इलाज नहीं है। अभी जो दवायें उपलब्ध हैं उनके उपयोग से शरीर में मौजूद एच.आई.वी. की संख्या स्थिर हो जाती है, अर्थात् वे गुणात्मक रूप से बढ़ते नहीं हैं। परन्तु ऐसी कोई दवा नहीं है जो शरीर में मौजूद एच.आई.वी. को खत्म कर सके। इन दवाओं की कीमत भी बहुत अधिक है। साथ ही इन दवाओं को निरन्तर लेना पड़ता है। इसलिए एच.आई.वी./एडस से बचाव ही एकमात्र इलाज है।

एच.आई.वी./एडस से बचाव के लिए क्या करें:

एच.आई.वी./एडस से बचाव का कोई भी टीका नहीं है पिर की भी जिम्मेदारी और समझ से काम लेकर और थोड़ी सी सावधानी बरतकर हम अपने को इससे बचाए रख सकते हैं।



कानूनी साक्षरता, हटाये दुर्बलता

एडस की बात सबके साथ



एच.आई.वी./एडस

जानकारी
और
बचाव

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर

एच.आई.वी./एड्स ?



एड्स (एकवायर्ड इम्यूनो डेफिशिएन्सी सिंड्रोम) एक वायरस से फैलता है, जिसे एच.आई.वी. (ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएन्सी वायरस) कहते हैं। एच.आई.वी. शरीर में रोगों का सामना करने की स्वाभाविक क्षमता को कमज़ोर करता चला जाता है।

H

I

V

A

I

D

S

शरीर में, बीमारियों से लड़ने की शक्ति घटने पर अनेक बीमारियों के लक्षण एक साथ प्रकट होने से जो अवस्था बनती है उसे एड्स कहते हैं। एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति कई सालों तक भ्रापूरा जीवन जी सकता है। लेकिन जब शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत ही खत्म होने लगती है जिससे कुछ वर्षों में ही वह किसी न किसी घातक रोग का शिकार हो जाता है।

एच.आई.वी./एड्स का कोई इलाज नहीं है और न ही इससे बचाव का कोई टीका अभी बना है। लेकिन कुछ सावधानियाँ अपनाकर एच.आई.वी. संक्रमण से बचा जा सकता है, साथ ही इसके प्रसार को भी कम किया जा सकता है।

एच.आई.वी./एड्स में अंतर :

एच.आई.वी. संक्रमण की स्थिति में, एच.आई.वी. के विरोध में शरीर द्वारा उत्पन्न एन्टीबॉडी की शरीर में उपस्थिति की पहचान का एच.आई.वी. पॉजीटिव या एच.आई.वी. ग्रसित कहा जाता है। जब एच.आई.वी. शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को समाप्त प्रायः कर देता है तो विभिन्न संक्रमणों के जो सामूहिक लक्षण एवं विन्ह शरीर में मिलते हैं उन्हें एड्स कहा जाता है। सामान्यतः एच.आई.वी. संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य सामान्य एवं स्वस्थ तो रहता ही है साथ ही यह संक्रमण अन्य लोगों में भी फैला सकता है।

एच.आई.वी./एड्स होता है :

1. किसी एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन सम्पर्क करने से।



2. एच.आई.वी. संक्रमित रक्त या रक्त उत्पादन को चढ़ाने से।



3. ऐसी एच.आई.वी. संक्रमित सुहृदयां (हंजेक्शन और सिरिंज) इस्तेमाल करने से जिन्हें विसंक्रमित (स्ट्रलाईज) न किया गया हो।



4. एच.आई.वी. संक्रमित माँ से उसके शिशु को (गर्भावस्था में या प्रसव के दौरान)



एच.आई.वी./एड्स संक्रमण के लक्षण :

एच.आई.वी. संक्रमित अधिकांश लोगों में कई सालों तक बीमारी/बीमारियों का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, पर आगे चलकर उन बीमारियों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं जो एड्स की अवस्था बनाते हैं। इन्हीं बीमारियों के लक्षण ऐसे व्यक्ति में भी प्रकट हो सकते हैं जिसे एच.आई.वी./एड्स नहीं है। इसलिए एच.आई.वी. होने या न होने का पवका पता लगाने का एक ही तरीका है - खून की जांच। एच.आई.वी. के आमतौर पर मुख्य लक्षण हैं :- बुखार, 1 माह या इससे अधिक समय तक दर्द लगना, वजन का 10 प्रतिशत तक कम होना। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इनमें से कोई लक्षण प्रकट होने पर व्यक्ति एच.आई.वी. संक्रमित ही हो।

एच.आई.वी./एड्स इस तरह नहीं फैलता :

एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित किसी भी व्यक्ति से सामान्य मेलजोल रखने में कोई खतरा नहीं है।





न्याय सबका अधिकार

न्याय प्राप्ति के लिए जागरूक हों

प्रत्येक भारतीय को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है।

साधन रहितों को न्याय दिलाने का वायित्व शासन का है। इसलिए शासन ने असहाय व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सेवा दिलाने की व्यवस्था की है-

नि:शुल्क विधिक सेवा के लिए योग्य व्यक्ति

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
2. मानव दुर्योगहार या बेगार का सताया हुआ व्यक्ति।
3. स्त्री या अवयरक बालक या बालिका।
4. मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्य असमर्थ व्यक्ति।
5. अनेपक्षित अभाव जैसे बहुविनाश जातीय हिंसा या अत्याचार, प्राकृतिक विपदा, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
6. औद्योगिक कर्मकार।
7. अभिरक्षाधीन व्यक्ति।
8. समस्त साधनों से 50,000/- रुपये प्रतिवर्ष से कम आमदनी वाला व्यक्ति।

नि:शुल्क विधिक सेवा में शामिल हैं।

1. न्यायालय फीस, आदेशिका फीस (तलवाना) का भुगतान और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में अन्य समस्त खर्चें।
2. किसी कार्यवाही को तैयार करने, प्रस्तुत करने के खर्चें।
3. विधि व्यवसायी (वकील) द्वारा प्रतिनिधित्व के खर्चें।
4. विधिक कार्यवाही में निर्णय, आदेश या अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि (नकल) प्राप्त करने या प्रदान करने के खर्चें।
5. विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद संबंधी खर्चें।

आवेदन प्रक्रिया एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

1. उच्च न्यायालय स्तर पर, सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा विधिक सहायता अधिकारी उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर उच्च न्यायालय खण्डपीठ परिसर खालियर व इन्दौर
2. जिला स्तर पर, अपने जिले के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला न्यायालय परिसर।
3. तहसील स्तर पर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति तहसील न्यायालय परिसर

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा विज्ञापित

याद रखें : कोई भी व्यक्ति भले ही स्वस्थ दिखे लेकिन वह एच.आई.वी. से संक्रमित हो सकता है और वह अनजाने में किसी दूसरे को संक्रमित कर सकता है।

कोई संदेह या डर हो तो एच.आई.वी./एडस के बारे में डॉक्टर, परामर्शदाता या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बातचीत करें और अपनी समस्या समाधान का



कर लें। यौन संबंधों के द्वौरान कंडोम का इस्तेमाल करें इससे एच.आई.वी. और अन्य यौन रोगों (एस.टी.डी.) के होने की संभावना कम रहती है। विवाह से पूर्व यौन संबंध न बनायें।

विवाह पश्चात एक ही ईमानदार साथी के साथ यौन सम्पर्क रखें। एक से अधिक व्यक्ति से यौन सम्पर्क रखने में एच.आई.वी. एवं यौन रोग के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

कण्डोम के उपयोग से एच.आई.वी. एवं यौन रोग के संक्रमण को रोका जा सकता है।

सुई/सिरिंज का इस्तेमाल : हमेशा विसंक्रमित/एक उपयोग के पश्चात फें करने योग्य (डिस्पोजेबल) सुई / सिरिंज का इस्तेमाल करें। जो इंजेवशन किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा चुका हो उसे अपने काम में न लाएं, चाहे वह कितना ही घनिष्ठ या कितना ही स्वस्थ क्यों न हो।

उबले-उबले पानी से नहाना चाहिए



डॉक्टर साब यह खुन एचआईवी मुक्त तो है ना?



रक्त चढ़वाना हो तो : रक्त या रक्त उत्पादन स्वीकार करने से पहले अच्छी तरह से जाँच लें कि वह एच.आई.वी. संक्रमण के लिए जांचा गया हो। इसके लिए लायसेंस प्राप्त ब्लडबैंक (रक्तकोष) से ही रक्त लें एवं ब्लड बैग पर एच.आई.वी. मुक्त होने का निशान जरूर ढेख लें।

एच.आई.वी./एड्स संक्रमित व्यक्ति की देखभाल और सहानुभूति :

परिवारजन और दोस्त एच.आई.वी./एड्स संक्रमित व्यक्ति की समुचित देखभाल करें और प्यार-रनेह का बर्ताव करके हौसला बढ़ाते रहें तो एच.आई.वी./एड्स पीडित व्यक्ति कई वर्ष तक सुखी और स्वस्थ रहकर भरापूरा जीवन जी सकता है। किसी के साथ सामान्य मेलजोल रखने से एड्स नहीं फैलता। एच.आई.वी./एड्स से डरकर किसी पीडित से दूर रहना या किसी तरह का पूर्वाग्रह रखना एकदम नासमझी है। एच.आई.वी./एड्स से पीडित व्यक्ति को भी सभी की तरह मान-सम्मानपूर्वक समाज में रहने का हक है। उसे उचित सार-संभाल और सच्ची हमदर्दी चाहिये, ताकि वह एच.आई.वी./एड्स का पूरी हिम्मत से मुकाबला कर सके और अपने रोजगार और परिवार ढोनों को पूर्ववत संचालित कर सके। यदि वह अपनी बीमारी या तकलीफ के बारे में कुछ कहना चाहे तो ध्यान से उसकी बातें सुनें और उनका हौसला बढ़ाएँ। उसे आपके रनेह और अपनत्व की आवश्यकता है। साथ ही उसे उचित सलाह हेतु सक्षम चिकित्सक, परामर्शदाता के पास भेजें। एच.आई.वी./एड्स पीडित व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा करें।

एच.आई.वी. की जाँच

एच.आई.वी. की जाँच क्यों करवानी चाहिए ?

यदि नीचे लिखी बातों के आधार पर आपने स्वयं को जोखिम में डाला है या कोई खतरा उठाया है तो यह जाँच करवाना आवश्यक हो जाता है-

- आप यौन रोग (गुप्त रोग) से पीडित हैं।
- आप नशीली द्वाओं का सेवन, अन्य व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की गई सुई और सीरिंज द्वारा करते हैं।
- एक से अधिक व्यक्तियों के साथ आपके असुरक्षित यौन सम्पर्क हैं।
- आपको बिना एच.आई.वी. की जाँच किया गया रक्त चढ़ाया गया है।

- आप टी.बी. से पीडित हैं जो सामान्य चिकित्सा से ठीक नहीं हो रही है।

एच.आई.वी. की जाँच से एड्स की बीमारी का पता नहीं चलता है बल्कि एच.आई.वी. के विरुद्ध शरीर में बने एन्टीबॉडी या प्रतिरोधी तत्व का पता चलता है।

एच.आई.वी.जाँच एवं परामर्श सेवाएँ :

प्रदेश के चुने हुये 12 जिला अस्पतालों तथा 5 मेडिकल कॉलेजों में स्थित स्वैच्छिक परामर्श एवं जाँच केन्द्र पर जाँच मात्र 10 रुपये में एवं परामर्श की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। ये केन्द्र शहडोल, सतना, बड़वानी, खरगोन, मंदसौर, उज्जैन, शिवपुरी, राजगढ़, छिंदवाड़ा, सिवनी, धार, सागर के जिला चिकित्सालयों तथा भोपाल, इन्दौर, रीवा, ब्वालियर, जबलपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही चोइथराम चिकित्सालय इन्दौर व आर.एम.आर.सी. जबलपुर में स्थित हैं। एच.आई.वी. की जाँच के द्वैरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है -

- आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अनुभवी परामर्शदाता (काउन्सलरों) द्वारा दिये जाते हैं। परामर्शदाता निर्णय लेने में आपकी सहायता करते हैं।
- आपका नाम तथा आपके रक्त जाँच की रिपोर्ट को गुप्त रखा जाता है।
- यदि आप चाहते हैं कि आपके एच.आई.वी. संक्रमित होने का खुलासा आपके परिवारजनों तथा मित्रों पर न किया जाये तो ये पूरी सावधानी बरतते हुये किया जाता है।
- आपकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है।

